संख्याः /XVIII(II)2018/02(05)/2016

प्रेषक,

बी0एम0 मिश्र,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 16 मई, 2018

विषयः–एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत उद्योग को भूमि क्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अधिकार को जनपद स्तर पर प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–356/XVIII(II)2018/02(05)/2016, दिनांक 27.02.2017 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक निवेश में वृद्धि एवं व्यापार करने की सुगमता के दृष्टिगत एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अधिकार को जनपद स्तर पर प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्रकाशित **उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2001) (संशोधन) अधिनियम–2017 (अधिनियम संख्या–09/2018)** की प्रति आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

2– उक्त के संबंध में प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2001) (संशोधन) अधिनियम–2017 (अधिनियम संख्या–09/2018) लागू होने के पश्चात **अब किसी प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धान्त/विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की सम्प्रति आवश्यकता परिलक्षित नहीं है।**

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए संबंधित प्रकरण पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 786(1)/XVIII(II)2018/02(05)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।

निदेशक उद्योग
उत्तराखण्ड